कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 3234 /PF/UK/ROAD/9530/2015 :देहरादूनःदिनांकः 29 मई, 2019.

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः–जनपद–अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जैंती पीपली से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.7862 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल नं0 (FP/UK/ROAD/9530/2015)

संदर्भः–वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 438/X-4-15/1(240)/2015 दिनांक 01–07–2015

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई. अल्मोड़ा **(प्रति संलग्न)** के द्वारा उपलब्ध करायी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित है :–

1. शर्त सख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.5724 हे0 ग्राम–सिल्टाचापड़ सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 13,68,853.00 (रू0 तेरह लाख अड़सठ हजार आठ सौ तिरेपन) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–सिल्टा चापड, पटवारी क्षेत्र–बकस्वाड़, तहसील–जैंती, जनपद–अल्मोड़ा में चिन्हित 9.5724 हे0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन करा दिया गया है, म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत द्वारा निर्धारित धनराशि के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 13,67,400.00 (रू0 तेरह लाख सड़सठ हजार चार सौ) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत द्वारा निर्धारित प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 31,44,533.00 (रू0 इकत्तीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ तिरेपन) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रदत्त एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी का बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन ग्राम्य विकास विभाग को किया जाना है, जो राज्य सरकार का एक सेवा विभाग है। ग्राम्य विकाव विभाग को प्रश्नगत वन भूमि निःशुल्क प्रत्यावर्तन की जानी है। अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में से उक्त शर्त को विलुप्त करने का कष्ट करें।

6. शर्त संख्या–6–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–3)**

7. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों के पालन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**

8. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–5)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के विधिवत स्वीकृति/औपचारिक आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या 3234 /PF/UK/ROAD/9530/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
3. मुख्य अभियन्ता, यू.आर.डी.ए., सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई., अल्मोड़ा।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक